

कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या-9/उपांकीट०अनु०-1/2010 (खंड) 1946 /कृ०, पटना, दिनांक 21-अप्रैल-2015
 प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
 कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संजय चौधरी,
 मे० ट्रोपिकल एग्रो सिस्टम (इण्डिया) प्रा०लि०,
 2 बी० द्वितीयतल, एल०ओ०हाउस,
 गोल्डेन आईसक्रीम के अपोजिट,
 एकजीविशन रोड़, पटना।

विषय :- कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या-121 एवं 122 दिनांक 25.07.2006 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातो एवं सहायक निदेशक, पौ०स०, सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना के स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसपल सर्टिफिकेट के वैध तिथि 31.12.2016 तक के लिए निम्नलिखित सूचीनुसार अनुज्ञप्ति संख्या 121-122 दिनांक 25.07.2006 को नवीकृत किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	वैधता तिथि
1	Carbendazim 50% WP	31.12.2016
2	Mancozeb 75% WP	31.12.2016
3	Isoproturon 75% WP	31.12.2016
4	Butachlor 50% EC	31.12.2016
5	Tricyclazole 75% WP	31.12.2016
6	Carbaryl 50% WP	31.12.2016
7	Atrazin 50% WP	31.12.2016
8	Thiomethoxam 25% WG	31.12.2016
9	Acetamiprid 20% SP	31.12.2016
10	Quinalphos 25% EC	31.12.2016
11	Methyl Parathion 2% DP	31.12.2016
12	Dimethoate 30% EC (W/W)	31.12.2016
13	Dicofol 18.5 % EC	31.12.2016
14	Fenvalerate 0.4% DP	31.12.2016
15	Fenvalerate 20% EC	31.12.2016
16	Coc 50% WP W/W (Taycop)	31.12.2016
17	Chlor phyriphos 20% EC	31.12.2016
18	Glyphoate 41% SL	31.12.2016
19	Carbendazim 12%+Mancozeb 63%WP	31.12.2016
20	Ethion 50% EC	31.12.2016
21	Imidacloprid 17.8% SL	31.12.2016
22	Imidacloprid 70% WS	31.12.2016
23	Monocrotophos 36% SL (Banned for use in vegetables)	31.12.2016
24	2-4-D Ethylester 38% EC	31.12.2016
25	DDVP 76% EC	31.12.2016
26	Lambdacyhal othrin 2.5% EC	31.12.2016
27	Cypermethrin 25% EC	31.12.2016
28	Alphamethrin 10% EC	31.12.2016
29	Acephate 75% SP	31.12.2016
30	Butachlor 5% G.R	31.12.2016
31	Cartap Hydrochloride 50% SP	31.12.2016
32	Meta taxyl+ mancozeb 72% WP	31.12.2016
33	Metribuzin 70% WP	31.12.2016
34	Phorate 10% CG	31.12.2016
35	Triacntanol 0.1% EW	31.12.2016
36	Cartap Hydrochloride 4% GR	31.12.2016
37	Ethephon 39 % SL	31.12.2016

38	Hexaconazole 5 % EC	31.12.2016
39	Metaxyl 35% WS	31.12.2016
40	Streptomycin sulphate + Teteracylene Hydrochloride 90:10 SP	31.12.2016
41	Sulphur 80% WP	31.12.2016
42	Triademefon 25% WP	31.12.2016
43	Profenofos 50% EC	31.12.2016
44	Pendime Thalin 30% EC	31.12.2016
45	Lambdacy halothrin 5% EC	31.12.2016
46	2-4-D Sodium Salt 80% Tech	31.12.2016
47	Pretilachlor 50% EC	31.12.2016
48	Validamycin 3% L	31.12.2016
49	Paraquate Dichloride 24% SL	31.12.2016
50	Permethrin 25% EC	31.12.2016
51	Fipronil 5% SC	31.12.2016
52	Hexaconazole 5% SC	31.12.2016
53	Gibberellic Acid	31.12.2015
54	Carbofuran 3% CG	31.12.2015
55	Tricentanol 0.05% GR	31.12.2015
56	Fipronil 0.3% GR	31.12.2015
57	Deltamethrin 1% +Triazophos 35% EC	31.12.2015

2-उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मे० ट्रोपिकल एग्रो सिस्टम (इण्डिया) प्रा०लि०, श्री संजय कुमार S/O- स्व० बिरेन्द्र कुमार एवं श्रीमति सुमंगल देवी, पेटेल सेवा नगर (प्रथम तल पर), NECC ट्रान्सपोर्ट ऑफिस के सामने, NRL प्रेट्रोल पम्प के सामने, न्यू बाईपास रोड, पटना।

3-कीटनाशी Profenofos40%+Cypermethrin 4% EC अमानक पाये जाने के उपरांत कृषि निदेशालय बिहार के पत्रांक-3921 दिनांक 03.09.2013 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके कारण इस उत्पाद का नवीकरण नहीं किया गया है।

4- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

5-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

6- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

7- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8- नियम 10 बी के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

9- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

10- मूल अनुज्ञप्ति संख्या-121-122 दिनांक 25.07.2006 संलग्न है कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/क०, पटना, दिनांक 21/12/2015

ज्ञापांक

1946

प्रतिलिपि-(1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।